संख्या–378 / III(2)/09–14(प्रा0आ0)/2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 03 फरवरी, 2010

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में दूनाकोट–बोरागांव हल्का वाहन मार्ग के किमी0 1 में 21 मी0 स्पान के मोटर (मिसिन्ग सेतु) निर्माण के स्थान पर बाक्स टाईप कल्वर्ट निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में दूनाकोट से बोरागांव हल्का वाहन मार्ग के किमी0 1 में 21 मी0 स्पान विस्तार के मोटर सेतु (मिसिन्ग सेतु) के निर्माण हेतु रू0 48.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 0.10 लाख के व्यय की अनुमति शासनादेश संः 2893/III(2)/07–14(प्रा0आ0)/2007 दिनांकः 30 नवम्बर, 2007 द्वारा प्रदान की गई थी। मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं0–9549/1107 याता0–कुमायूँ/2009 दिनांक 09–09–2009 के द्वारा भूगर्भवेत्ता की संस्तुति के क्रम में **जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट में दूनाकोट से बोरागांव हल्का वाहन मार्ग के किमी0 1 में 21 मी0 स्पान के मोटर (मिसिन्ग सेतु) निर्माण के स्थान पर बाक्स टाईप कल्वर्ट के निर्माण की संस्तुति की गई है,** जिस हेतु मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा रू0 47.77 लाख का आगणन स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संः 2893/III(2)/07–14(प्रा0आ0)/2007 दिनांकः 30 नवम्बर, 2007 द्वारा जारी की गई पूर्व स्वीकृति के क्रमांक–1 पर अंकित कार्य को, भूगर्भवेता की तकनीकी संस्तुति से उक्त पुल के निर्माण के लिये उपयुक्त न पाये जाने के दृष्टिगत, निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये रू0 47.77 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी **रू0 46.79 लाख** (रूपये छियालीस लाख उन्नासी हजार मात्र) की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु कुल **रू0 0.50 लाख (रू0 पचास हजार मात्र)** की धनराशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। अब पुनः नये आगणन प्रस्तुत किये जाने पर परिवर्तित आगणनों पर विचार नही किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। शासनादेश दिनांक 30–11–2007 में क्रमांक–1 के निरस्त किये जा रहे कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि अब उक्त कार्य पर व्यय की जायेगी।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31 मार्च, 2010 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

14. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

15. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर– 02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 733/XXVII/(2)/2009 दिनांकः 30 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्याः-378 (1)/III(2)/09–14(प्रा0आ0)/2007 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव